

198

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

8 FEB 2019

क्रमांक प.1(2)न्याय/2008


जयपुर, दिनांक

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.07.2008 की क्रम संख्या-2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम
1.	वरिष्ठ सिविल एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद	अरनोद उपखण्ड	अरनोद	प्रतापगढ़

राज्यपाल के आदेश से

  
05/03/19  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/18/2007/308

Dated: 05/03/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1.All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
- 2.District & Sessions Judge, Pratapgarh
- 3.Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh
- 4.Sr.Civil Judge & Additional Chief Judicial Magistrate, Arnod hq Pratapgarh/ Arnod.
- 5.A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell with a direction to upload the same on high court website.

  
05.3.19  
REGISTRAR (RULES)